**भारत सरकार**

**आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय**

**लोक सभा**

**अतारांकित प्रश्न सं. 871**

**04 दिसम्बर, 2025 को उत्तर दिये जाने के लिए**

**शहरी जलवायु का स्वरूप सुधारने वाली परियोजनाओं के लिए सहायता**

**†871.श्री इटेला राजेंदरः**

क्या **आवासन और शहरी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या केन्द्र सरकार को जानकारी है कि तेलंगाना सरकार की मूसी रिवरफ्रंट विकास योजना का उद्देश्य शहरी क्षेत्रों में जलवायु के स्वरूप में सुधार करना है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या उक्त योजना आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय के वर्ष 2021 के "नदी-केन्द्रित शहरी नियोजन दिशानिर्देश" नामक दस्तावेज के अनुरूप है, जिसमें जलवायु परिवर्तन संबंधी विचारों को शामिल किया गया तथा निर्मित एवं प्राकृतिक मनोरंजक स्थल बनाने का सुझाव है तथा पर्यावरण के प्रति संवेदनशील क्षेत्रीकरण विनियमों की बात की गई है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उक्त परियोजना की अनुमानित लागत एक लाख करोड़ रुपये से डेढ़ लाख करोड़ रुपये के बीच है और इसके निष्पादन के लिए पर्याप्त धन जुटाना चुनौतीपूर्ण रहा है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) क्या विशेषकर देश के शहरों की बढ़ती पर्यावरणिक संवेदनशीलता को देखते हुए, जिसमें हाल ही में हैदराबाद में सड़कों पर पानी भर जाने और खराब सीवर व्यवस्था के कारण हुई ऐसी दूसरी घटनाएँ शामिल हैं, केंद्र सरकार का ऐसी बड़ी शहरी जलवायु-सुधार परियोजना के लिए पर्याप्त वित्तीय या तकनीकी सहायता प्रदान करने का विचार है और यदि हाँ, तो इस बारे में क्या कदम उठाए गए हैं या उठाए जाने का विचार है?

**उत्तर**

**आवासन और शहरी कार्य राज्य मंत्री**
**(श्री तोखन साहू)**

(क) से (घ) संविधान की 12वीं अनुसूची के अनुसार, शहरी नियोजन शहरी स्थानीय निकायों/शहरी विकास प्राधिकरणों की ज़िम्मेदारी है। भारत सरकार योजनाबद्ध उपायों/परामर्शिकाओं के माध्यम से राज्यों के प्रयासों में सहायता प्रदान करती है। सरकार विभिन्न योजनाओं/मिशनों के माध्यम से राज्यों को वित्तीय और तकनीकी सहायता प्रदान करती है।

मूसी रिवरफ्रंट विकास परियोजना राज्य सरकार की एक पहल है, जिसका उद्देश्य शहरी विकास को पर्यावरणीय स्थिरता के साथ एकीकृत करके प्रदूषण को कम करना, बाढ़ की संभावना को कम करना और नदी के पारिस्थितिक संतुलन का पुनरुद्धार करना है। राज्य से प्राप्त जानकारी के अनुसार, मूसी रिवरफ्रंट विकास परियोजना के लिए मास्टर प्लान तैयार करने हेतु कदम उठाए गए हैं। नदी नियोजन से संबंधित आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय के "नदी-केंद्रित शहरी नियोजन दिशा-निर्देश" और जल शक्ति मंत्रालय द्वारा जारी विभिन्न दिशा-निर्देश मूसी पुनरुद्धार परियोजना के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) तैयार करने का आधार हैं। परियोजना के एक भाग के रूप में, तेलंगाना सरकार ने केंद्र सरकार की विभिन्न योजनाओं/कार्यक्रमों के तहत निधि आवंटित करने के लिए केंद्र सरकार से सहायता का अनुरोध किया है और बहुपक्षीय विकास बैंकों/ बहुपक्षीय एजेंसियों से भी संपर्क किया है।

राज्य सरकार ने विश्व बैंक-आईबीआरडी से 500 मिलियन अमरीकी डॉलर के ऋण के लिए मूसी रिवरफ्रंट विकास परियोजना पर प्रारंभिक परियोजना रिपोर्ट (पीपीआर) प्रस्तुत की है। आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय की बाह्य सहायता प्राप्त परियोजना(ईएपी) समिति ने आर्थिक कार्य विभाग को सैद्धांतिक रूप से प्रस्ताव की सिफारिश करते हुए कहा है कि तेलंगाना सरकार

ऋण समझौते पर हस्ताक्षर करने से पहले तकनीकी दृष्टिकोण से मूल्यांकन के लिए केन्द्रीय सार्वजनिक स्वास्थ्य और पर्यावरण इंजीनियरिंग संगठन (सीपीएचईईओ) को जल, सीवरेज और तूफ़ानी वर्षा जल प्रबंधन से संबंधित विस्तृत परियोजना रिपोर्ट प्रस्तुत करे।

अमृत 2.0 के तहत, ग्रेटर हैदराबाद नगर निगम (जीएचएमसी) के लिए राज्य द्वारा प्रस्तावित की गई 3,849.10 करोड़ रुपए की 3 सीवरेज परियोजनाओं, जिनमें कुल 972 मिलियन लीटर प्रति दिन (एमएलडी) सीवेज शोधन क्षमता और 4.92 लाख नए/मरम्मत किए गए कनेक्शन शामिल हैं, को आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा अनुमोदित किया गया है।

****